agricultural workers. Apart from the minimum wage and its implementation, I would like to ask a question. It is a long-pending issue of the Central Act for the agricultural workers. So many committees were formed. They have also given their suggestions and drafts. May I know whether the Minister will bring forwad the Bill in the present session or at least in the coming session of Parliament?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: The first part of the question is a moot one. The Hon. Member has very rightly said that for the implementation of the minimum wages in the rural areas, it is very important that we must have strong voluntary organisation and it is in this context that I appreciated the efforts of INTUC when they have organised a Conference.

(*Interruptions*)

Yesterday I went to them and, therefore, I appreciate.

(*Interruptions*)

You talk. They do. That is the difference. And, therefore, I appreciate their efforts to organise a Camp of Rural Organisers for the Grameen workers.

As regards the second part of the question about the Bill, you have rightly said that it has become old and, therefore, we propose to bring it before the House to amend it.

श्री होरालाल आर. परमार : मैं एक महत्व का सवाल पूछ रहा हूं । गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट की सानन्द तहसील में 55 गांव हैं जिनमें दो रुपया पर डे मजदूरी नागों को मिलती है । मैंने यह बात लिख कर भी मंत्री जी को दी है लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला है । वहां दो रुपया रोज लेबरर्ज को मिलता है । क्या उन पर आपका ला लागू नहीं होता है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि उनको शोषण से बचाने के लिए और रोजी रोटी देने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : यह बात स्पष्ट है कि गुजरात में भी न्यूनतम मजदूरी कानून लागू है । अगर माननीय सदस्य इसको जानते हैं कि वहां दो रुपये मजदूरी मिलती है और वह कहते हैं कि उन्होंने लिख कर दिया है तो इस चीज को वह वहां की राज्य सरकार को भी कह सकते हैं, उन को मिल कर भी उनको कह सकते हैं और जहां तक हमारा सम्बन्ध है और यह सच है तो स्थिति को सुधारने का प्रयास हम करेंगे और किया जा रहा है ।

Cheating of Indians from Lebanon by Job Agency

*152. SHRI M. RAMGOPAL REDDY:
SHRI D. P. YADAV:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news published in the 'Times of India' dated 3 February, 1982 to the effect that 31 Indians who came from Lebanon have been duped by a job agency in India;

(b) what are the details in this regard; and

(c) what action has been taken against the firm?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI DHARMAVIR): (a) Yes, Sir.

(b) A group of 31 Indian nationals was recruited by some unscrupulous agents and promised job in a factory on monthly salaries ranging from Rs. 3000 to Rs. 4000, in Beirut. The agents allegedly charged each recruit Rs. 14000. Accompanied by the agents, they were flown to Dacca from Calcutta no December 27-28, 1981 in two batches on tourist Visas, from where they were taken to Damascus via Moscow, Sofia and Istanbul. From Domascus they were sent on their own to Beirut by bus, without possessing visas for Lebanon, with the assurance that they would be met by the agents in Beirut. On arrival in Beirut

on January 10, 1982, they found themselves stranded without jobs. They contacted the Indian Embassy on January 12, 1982 and were repatriated to India on January 31, 1982 as soon as a suitable flight accommodation was available.

(c) A case has been registered by the Delhi Police on February 2, 1982, under various sections of the IPC and the Emigration Act against the travel agents who were allegedly instrumental in sending the Indian emigrants to Lebanon. The case is still under investigation.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: I want to know who is the agent and whether he has registered himself with the Labour Ministry or not and, if not, how that man could manage to get visas and what sort of visa was obtained?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : उनके पास टूरिस्ट वीसा था। ये दोनों व्यक्ति पंजाब के थे। दोनों के खिलाफ पुलिस कार्यवाई कर रही है। उनकी जांच जारी है। इनको पहले ढाका भेजा, वहां से दमिश्क भेजा और घुमा फिरा कर वहां ले गए। दोनों व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी : अध्यक्ष जी, यह तो बड़ा अच्छा हुआ सरकार ने सब से अच्छी कार्यवाही और जल्दी कार्यवाही की। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जब टूरिस्ट वीजा लिये हुए थे तो इमीग्रेशन आफिसर्स को मालूम हो जाता है जब लोग वहां से जाते हैं उस समय ऐसे लोगों को पहचाना जा सकता है कि वाकई में यह लोग टूरिस्ट हैं कि नहीं। अगर कोई आदमी धोखा दे कर ले जा रहा है तो पता लग जाता है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इमीग्रेशन लेविल पर उनको क्यों नहीं रोका गया ?

श्री भागवत झा आजाद : इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे सकता, यह तो संबंधित मंत्रालय ही दे सकता है। प्रश्न यह है कि कभी कभी आदमी को पहचानने में दिक्कत होती है और यह देख लेना कि टूरिस्ट है कि नहीं बड़ा मुश्किल है। अब स्थिति यह हो गई कि पहले तो यह एजेन्ट अपने को श्रम मंत्रालय में रजिस्टर कराते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च, 1979 के जजमेंट के अनुसार अब वह सब आजाद हो गये हैं। कोई जरूरत नहीं है रजिस्टर कराने की। सिर्फ 4 कानून उन पर लागू है। इसलिए दिक्कत हो रही है।

डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : क्या मंत्री जी को यह पता है कि बहुत से ऐसे भी व्यक्ति हैं जो गरीब लोगों से पैसा ले कर, 10,000 रु. 20,000 रु. तक लेते हैं और उन्हें यह लालच देते हैं कि तुम्हें बाहर भेजा जायगा नौकरी के लिये। वह बेचारे देहात से बड़े बड़े शहरों में आते हैं, जैसे दिल्ली या बम्बई में और यहां भटकते रहते हैं और 6, 6 महीने भूखे भी रहते हैं। फिर उन्हें पता नहीं चलता है कि वह किधर जायें और क्या करें। यह जो आदमी के साथ खिलवाड़ हो रहा है सरकार इसकी जांच कर के कोई प्रतिबन्ध लगायेगी ताकि इसको रोका जाय ?

श्री भागवत झा आजाद : यह बात सही है कि यह व्यक्ति जो पहले रजिस्टर्ड एजेन्ट थे अब अनरजिस्टर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद और इस प्रकार की धोखाधड़ी करते हैं। वर्तमान केस में ही एक, एक व्यक्ति से 14,000 रु. लिये गये और टूरी टिकिट में वापस आये हैं। इसलिये सरकार ने निर्णय किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सब को अनरजिस्टर्ड किया है इसलिये एक बिल सदन में हम लायें जिसमें इन बातों पर विचार किया जाय ताकि ऐसे चालाक लोग भोले भाले लोगों को ठगने न पायें। यथा शीघ्र ही ऐसा बिल लाया जायेगा।

(व्यवधान)**

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से आजाद हो गये, अब उनका नाम

**Not recorded.

रजिस्टर नहीं होता श्रम मंत्रालय में । यही जवाब आज से करीब डेढ़ साल पहले भी दिया गया था और उस समय भी यही आश्वासन दिया गया था कि कानून में शीघ्र ही संशोधन कर रहे हैं । और आज भी वही जवाब है । इतनी बार सदन बैठ चुका है, तो यह बिल क्यों नहीं लाये ?

श्री भागवत झा आजाद : यह सवाल पूछना सही है । यह जजमेंट हुआ था मार्च 1979 में और वह वायदा जनता सरकार ने किया था जिसको उन्होंने पूरा नहीं किया । लेकिन हमने जो वायदा किया है वह हम पूरा कर के दिखायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री दामोदर राम सारण : कहें केस तो हमने पकड़वाये ।

MR. SPEAKER: Mr. Chintamani Panigrahi.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAGI: Such cases are not isolated. I think the hon. Minister is well aware of the fact that.... *(Interruptions)***

अध्यक्ष महोदय कानून पढ़िए और फिर आइये

Bring those documents and let me know.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Thousands of labourers are being indented by petty contractors from Orissa and from other states and they are being exploited...

MR. SPEAKER: Nothing has gone on record without my permission. Whatever is said without my permission does not from part of record.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: May I know whether the Home Ministry will give a direction to the State Governments that such contractors should be punished and whatever cases are pending, the State Governments should immediately take action against those offenders who are exploiting the human labour in such manner?

Even they are not taking action against these people....

SHRI MOOL CHAND DAGA: Nobody is taking action.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Thousands of labourers are being taken to the Arab and the Middle-east countries and they are being exploited. What action do the Government propose to take against unscrupulous agencies and such contractors?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: The hon. Member's statement is correct that they are recruited and exploited. To avoid that it is proposed to bring an Emigration Bill in the House.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Development of colour T. V.

*145. SHRI PRATAP BHANU SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 51 cm colour TV has been developed in the country on indigenous know-how; and

(b) if so, the details thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) and (b). According to information available with the Department of Electronics, the Central Electronics Engineering Research Institute (CEERI), U.P. Electronics Corporation and Electronics Corporation of India Limited have developed colour T.V. receivers of 51 cm screen size. However, these receivers have yet to be tested for commercial worthiness.

**Not recorded.